

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 09.09.2015 को प्रातः 11.00 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल की 92वीं बैठक के कार्यवृत्त ।

निम्न सदस्य उपस्थित थे :-

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. डॉ० बी०आर० छीपा,
माननीय कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. डॉ० गोपाल कृष्ण जोशी,
माननीय विधायक (बीकानेर पश्चिम) | सदस्य |
| 3. डॉ० लोकेश कुमार शेखावत,
पूर्व कुलपति एवं महामहिम कुलाधिपति द्वारा मनोनीत विख्यात शिक्षाविद् | सदस्य |
| 4. डॉ० सी०बी० गेना,
पूर्व कुलपति एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत विख्यात वैज्ञानिक | सदस्य |
| 5. श्री हनुमाना राम इसरान,
प्राचार्य एवं महामहिम कुलाधिपति द्वारा मनोनीत विख्यात शिक्षाविद् | सदस्य |
| 6. डॉ० एन० वी० पाटिल,
निदेशक (रा०ऊ०अ०के०) एवं भा०कृ०अ०प० द्वारा मनोनीत सदस्य | सदस्य |
| 7. श्री सुमित गोदारा,
प्रगतिशील किसान राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य | सदस्य |
| 8. डॉ० पी०एस० राठौड़,
निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, बीकानेर | सदस्य |
| 9. डॉ० वी०के० गौड़,
निदेशक, छात्र कल्याण निदेशालय, बीकानेर | सदस्य |
| 10. डॉ० (श्रीमती) विमला डुकवाल,
आचार्य, गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर | सदस्य |
| 11. डॉ० एस०एल० गोदारा,
आचार्य एवं क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृ०अनु०के०, बीकानेर | सदस्य |
| 12. डॉ० दीपक चतुर्वेदी,
सहायक आचार्य, प्रसार शिक्षा निदेशालय, बीकानेर | सदस्य |
| 13. डॉ० सी० पी० राजपुरोहित,
उप पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय, बीकानेर | सदस्य |
| 14. श्री अरविन्द सिंह शेखावत,
वित्त नियंत्रक | आमंत्रित सदस्य |
| 15. डॉ० आई०जे० गुलाटी,
कुलसचिव | सदस्य सचिव |

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि), आयुक्त कृषि, अतिरिक्त मुख्य सचिव (पशु पालन), प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) राजस्थान सरकार प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भाग नहीं ले सकें।

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव एवं सदस्य सचिव द्वारा प्रबन्ध मण्डल के पूर्व सदस्य श्री हरि प्रसाद पिपरालिया पूर्व कुलसचिव, डॉ० एम०एल० रेगर, सहायक आचार्य एवं डॉ० (श्रीमती) अदिति माथुर, सहायक आचार्य द्वारा प्रबन्ध मण्डल सदस्य के रूप में दिये गये सहयोग एवं सेवाओं की सराहना के साथ ही नये मनोनीत सदस्य डॉ० गोपाल कृष्ण जोशी माननीय विधायक (बीकानेर पश्चिम) एवम् श्री सुमित गोदारा, प्रगतिशील किसान राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत तथा कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत प्रबन्ध मण्डल सदस्य डॉ० दीपक चतुर्वेदी सहायक आचार्य एवं डॉ० सी०पी० राजपुरोहित उप पुस्तकालयाध्यक्ष व बैठक में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया।

राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य डॉ० सी०बी० गेना द्वारा बैठक की कार्यसूची के प्रत्येक पृष्ठ पर कुलसचिव के हस्ताक्षर होने के बारे में अवगत कराया गया। कुलसचिव द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली बैठकों में इसकी पालना सुनिश्चित किए जाने की सहमति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय शैक्षणिक कलेन्डर, विश्वविद्यालय अधिनियम, संकाय सदस्यों की सूची एवं प्रोस्पेक्ट की प्रतियाँ प्रबन्ध मण्डल सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाने एवं विश्वविद्यालय का नाम स्वामी केशवानन्द जी के नाम पर होने के कारण स्वामी केशवानन्द जी का 13 सितम्बर को हर वर्ष निर्वाण दिवस मनाये जाने का सुझाव दिया।

माननीय मनोनीत प्रबन्ध मण्डल सदस्यों द्वारा बैठक के प्रारम्भ में विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जानकारी आगामी होने वाली प्रबन्ध मण्डल की बैठकों में प्रस्तुत किए जाने के अनुरोध पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा सहमति प्रदान की गई।

मद संख्या	विवरण
स्वाकेराकृवि/बोम-92/ 2015-2/1257	90वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 10.09.2014 एवम् 91 वीं विशेष प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 26.04.2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत। यह पारित (Resolved) किया गया कि 90वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 10.09.2014 एवम् 91 वीं विशेष प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 26.04.2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम-92/ 2015-2/1258	90वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 10.09.2014 एवम् 91 वीं विशेष प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 26.04.2015 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही। यह पारित (Resolved) किया गया कि 90वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 10.09.2014 एवम् 91 वीं विशेष प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 26.04.2015 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही की पुष्टि निम्न के साथ की जाती है :-

	<ol style="list-style-type: none"> 1. दिनांक 10.09.2014 को आयोजित विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल बैठक के मद संख्या स्वाकेराकृवि/बोम-90/2014-2/1255(5) में पारित निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं का परिणाम परीक्षा समाप्ति के दो माह के अन्दर जारी किए जाने की पालना होने की जानकारी प्रबन्ध मण्डल द्वारा चाहने पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को कृषि पर्यवेक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2013 के आयोजन की जिम्मेदारी देने एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जेट/प्रीपीजी परीक्षाओं के आयोजन के कारण एक सेमेस्टर के परिणाम जारी करने में देरी हुई है, जिसका आज ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। प्रबन्ध मण्डल सदस्यों द्वारा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य प्रवेश/प्रतियोगी परीक्षाओं के कार्य से मुक्त रखने के सुझाव पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा सहमति प्रदान की गई। 2. दिनांक 10.09.2014 को आयोजित विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल बैठक के मद संख्या स्वाकेराकृवि/बोम-90/2014-2/1255(9) में पारित निर्णय विश्वविद्यालय वेबसाईट हर दो दिवस में अपडेट की जावें की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इस बाबत् निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय वेबसाईट हर दो दिवस में अपडेट की जानी सुनिश्चित की जावें एवम् प्रबन्ध मण्डल की बैठक में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जावें। विश्वविद्यालय वेबसाईट पर माननीय कुलपति महोदय के बायोडाटा अपलोड किए जावें। 3. दिनांक 10.09.2014 को आयोजित विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल बैठक के मद संख्या स्वाकेराकृवि/बोम-90/2014-2/1255(10) में पारित निर्णय विश्वविद्यालय मुख्यालय पर किसान मेले के आयोजन के संदर्भ में प्रसार शिक्षा निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2015 में किन्हीं अपरिहार्य कारणों से किसान मेले का आयोजन नहीं हो सका तथा अब किसान मेला वर्ष 2016 के फरवरी/मार्च माह में आयोजित किया जावेगा तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष किसान मेले का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। 4. दिनांक 10.09.2014 को आयोजित विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल बैठक के मद संख्या स्वाकेराकृवि/बोम-90/2014-2/1255(11) में पारित निर्णय स्पोर्ट्स बोर्ड कार्यालय को विश्वविद्यालय स्टेडियम में स्थानान्तरित करने के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक प०/स्वाकेराकृवि/सामान्य/ग्रुप-II/2014/205 दिनांक 14.10.2014 की पालना के बारे में निदेशक छात्र कल्याण द्वारा अवगत कराया गया कि छात्र कल्याण निदेशालय में कार्मिकों की कमी के साथ साथ विश्वविद्यालय स्टेडियम में मरम्मत कार्य नहीं होने के कारण स्पोर्ट्स बोर्ड को विश्वविद्यालय स्टेडियम में स्थानान्तरित नहीं किया जा सका, जिसे प्रबन्ध मण्डल ने गम्भीरता से लेते हुए शीघ्रताशीघ्र पालना सुनिश्चित करवाई जाने बाबत् निर्णय लिया गया।
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>5. दिनांक 10.09.2014 को आयोजित विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल बैठक के मद संख्या स्वाकेराकृवि/बोम-90/2014-2/1255(13) में पारित निर्णय विश्वविद्यालय के अधीन स्थित समस्त अनुसंधान केन्द्र, उप केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा अन्य गतिविधियों/कार्यालयों हेतु राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई भूमि का ब्लू प्रिंट तैयार नहीं होने को प्रबन्ध मण्डल ने गम्भीरता से लेने पर भू-सम्पत्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि उक्त कार्य प्रगति पर है एवम् 10 दिवस में कार्य पूर्ण कर कुलसचिव महोदय को अवगत करवा दिया जावेगा।</p> <p>इस विश्वविद्यालय के विभाजन उपरान्त नए स्थापित राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिकार क्षेत्र में गई भूमि का नामकरण जो कि वर्तमान इस विश्वविद्यालय के नाम पर दर्ज है को राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम स्थानान्तरित करने की कार्यवाही करवाई जाए। इसके अतिरिक्त अवगत करवाया गया कि वर्तमान में भी कृषि महाविद्यालय, बीकानेर के अधीन कुछ भूमि उरमूल डेयरी के नाम दर्ज है, जिसे भू-सम्पत्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में पता लगाकर विश्वविद्यालय के नाम भूमि का नामान्तरण करने की कार्यवाही की जावे।</p> <p>6. दिनांक 10.09.2014 को आयोजित विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल बैठक के मद संख्या स्वाकेराकृवि/बोम-90/2014-2/1255(15) में पारित निर्णय विश्वविद्यालय के अधिनस्थ समस्त कार्यालयों/इकाईयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी का भुगतान नगद न कर वर्दी का कपड़ा उपलब्ध करवाये जाने बाबत जानकारी प्रबन्ध मण्डल द्वारा चाहने पर वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्थान सरकार के कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी वर्दी का कपड़ा उपलब्ध न करवाकर नगद भुगतान किए जाने के कारण यह विश्वविद्यालय में लागू किया गया। प्रबन्ध मण्डल ने वर्दी के पात्र कार्मिकों को वर्दी में कार्यालय आने के लिए पाबंद करने का निर्णय लिया।</p>
<p>स्वाकेराकृवि/बोम-92/ 2015-2/1259</p>	<p>46 वीं विद्या परिषद् बैठक दिनांक 16.07.2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि 46 वीं विद्या परिषद् बैठक दिनांक 16.07.2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती है।</p>
<p>स्वाकेराकृवि/बोम-92/ 2015-2/1260</p>	<p>माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश की पुष्टि करने बाबत।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प०/एसकेराकृवि/स्थापना/ग्रुप-1/2014/355 दिनांक 16.09.2014 2. प०/एसकेराकृवि/स्थापना/ग्रुप-1/2014/356 दिनांक 16.09.2014 3. प०/एसकेराकृवि/बैठक/बोम-90/2014/160 दिनांक 24.09.2014 4. प०/एसकेराकृवि/स्थापना/ग्रुप-1/2014/370 दिनांक 30.09.2014 5. प०/एसकेराकृवि/सामान्य/ग्रुप-II/2015/289 दिनांक 14.01.2015 6. प०/एसकेराकृवि/स्थापना/ग्रुप-1/2015/544 दिनांक 28.02.2015 7. प०/एसकेराकृवि/स्थापना/ग्रुप-1/2015/545 दिनांक 28.02.2015

	<p>8. प०/एसकेराकृवि/स्थापना/ग्रुप-1/2015/546 दिनांक 28.02.2015</p> <p>9. प०/एसकेराकृवि/स्थापना/ग्रुप-1/2015/626 दिनांक 31.03.2015</p> <p>10. निजी कृषि महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए अस्थाई सम्बद्धता पत्रांक प० 272(iii)/ एसकेराकृवि/सामान्य/ग्रुप-II/2015/429 से 437 दिनांक 31.07.2015</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी अधिसूचनाओं/आदेशों को प्रबन्ध मण्डल की कार्यसूची में क्रमांक व दिनांक के साथ ही विषय को भी दर्शाए जाने के सुझाव के साथ पुष्टि की जाती है।</p>
स्वाकेराकृवि/बोम-92/2015-2/1261	<p>कृषि महाविद्यालय, बीकानेर में एवं गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर में स्टेट प्लान में सृजित आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों का विषय निर्धारित करने बाबत्।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि कृषि महाविद्यालय, बीकानेर में स्टेट प्लान में स्वीकृत आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों का विषय संकायाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बीकानेर की अनुशंषानुसार अनुमोदित की जाती है तथा गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर में स्टेट प्लान में स्वीकृत आचार्य पद का विषय निर्धारित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है।</p>
स्वाकेराकृवि/बोम-92/2015-2/1262	<p>गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के खाद्य एवं पोषण विभाग में चल रहे स्ववित्त पोषित Diploma in Nutrition and Dietetics में पढ़ाने हेतु Guest Faculty लगाने बाबत् शपथ पत्र का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के खाद्य एवं पोषण विभाग में चल रहे स्ववित्त पोषित Diploma in Nutrition and Dietetics में पढ़ाने हेतु Guest Faculty लगाने बाबत् शपथ पत्र के प्रारूप में वित्तपोषित परियोजना का उल्लेख, परियोजना में लगाए गये Guest faculty सदस्य को विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का उल्लेख करते हुए संशोधित किया जावे, जिसे विधि शाखा से अनुमोदन पश्चात ही लागू किया जावे जिससे भविष्य में संबंधित द्वारा किसी भी प्रकार के नियमितकरण के विधिय प्रकरण से बचा जा सकें।</p>
स्वाकेराकृवि/बोम-92/2015-2/1263	<p>सेवानिवृति पर 300 दिन के उपार्जित अवकाश का भुगतान वेतन मद से करने बाबत्।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि सेवानिवृति पर 300 दिन के उपार्जित अवकाश का भुगतान वेतन मद से करने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p>
स्वाकेराकृवि/बोम-92/2015-2/1264	<p>राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किये गये प्रावधानों के अनुसार RKCL द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम (RS-CIT) की फीस के पुनर्भरण बाबत्।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किये गये प्रावधानों के अनुसार RKCL द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम (RS-CIT) की फीस के पुनर्भरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p>

विश्वविद्यालय के पेंशनरों को नियमित रूप से मासिक पेंशन एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान नहीं होने तथा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस०बी०सिविल रिट पीटीशन संख्या 5778/2014 की वस्तु स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं स्थायी समाधान हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विश्वविद्यालय के पेंशनरों को नियमित रूप से मासिक पेंशन एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान नहीं होने तथा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस०बी०सिविल रिट पीटीशन संख्या 5778/2014 के संदर्भ में गम्भीरता से विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् इस हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति के गठन का निर्णय पारित किया गया :-

1. डॉ० गोपाल कृष्ण जोशी, अध्यक्ष
माननीय विधायक (बीकानेर पश्चिम) एवं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्रबन्ध मण्डल सदस्य
2. डॉ० सी०बी० गेना, सदस्य
पूर्व कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत प्रबन्ध मण्डल सदस्य
3. डॉ० लोकेश कुमार शेखावत, सदस्य
पूर्व कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं महामहिम कुलाधिपति द्वारा मनोनीत प्रबन्ध मण्डल सदस्य
4. श्री सुमित गोदारा, सदस्य
प्रगतिशील किसान एवं राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत प्रबन्ध मण्डल सदस्य
5. डॉ० (श्रीमती) विमला डुकवाल, सदस्य
आचार्य, गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर
6. श्री अरविन्द सिंह शेखावत, सदस्य
वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

वित्त नियंत्रक महोदय पेंशन समस्या के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात् समिति द्वारा संक्षिप्त विवरण तैयार कर इस संबंध में महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार से व्यक्तिशः भेंट कर विश्वविद्यालय में उत्पन्न पेंशन समस्या के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय को पर्याप्त बजट का आवंटन करने अथवा इस विश्वविद्यालय से विभाजित कर राज्य में स्थापित किए गये चार अन्य कृषि विश्वविद्यालय (महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर-जयपुर, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर, एवं कृषि विश्वविद्यालय, कोटा) तथा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनस्थ ईकाईयों से सेवा-निवृत्त हुए कर्मिकों की पेंशन भुगतान का दायित्व संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा वहन किए जाने का निवेदन किया जाएगा।

वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प० 3(6) कृषि-3/2014 दिनांक 23.05.2014 के द्वारा विश्वविद्यालय को राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश "कि तीनों कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पश्चात् जो कर्मिक उक्त तीनों नये कृषि

	<p>विश्वविद्यालयों में स्थानान्तरण के बाद सेवानिवृत्त हो गये है अथवा भविष्य में सेवानिवृत्त होंगे के समस्त पेंशन परिलाभ एवं पेंशन भुगतान आगामी आदेशों तक पूर्व के संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ही भुगतान किये जायेंगे” के संदर्भ में प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया गया कि श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा जुलाई 2014 से अब तक उनके विश्वविद्यालय से सेवा-निवृत्त हुए कार्मिकों का पेंशन अंशदान इस विश्वविद्यालय को नहीं भिजवाया जा रहा है, जबकि सेवा-निवृत्त हुए कार्मिकों का पी०पी०ओ० उनके द्वारा जारी कर इस विश्वविद्यालय को पेंशन देने हेतु प्रेषित किया जाता है। जिस पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। यह पारित (Resolved) किया जाता है कि उक्त तीनों नए कृषि विश्वविद्यालयों में स्थानान्तरित होने के बाद सेवा-निवृत्त कार्मिकों जिनके पी०पी०ओ० नए कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गये है को पेंशन का भुगतान संबंधित कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ही किये जाने की राज्य सरकार से अनुशंसा की जाती है।</p>
<p>स्वाकेराकृवि/बोम-92/ 2015-2/1266</p>	<p>केन्द्रीय पूल में दो नये वाहन की खरीद करने बाबत।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि केन्द्रीय पूल में दो नये वाहन खरीदने की स्वीकृति बजट उपलब्धता के आधार पर दी जाती है। वाहन खरीद हेतु बजट उपलब्ध होने तक आवश्यकतानुसार वाहन अनुबंध पर लिया जावे।</p>
<p>स्वाकेराकृवि/बोम-92/ 2015-2/1267</p>	<p>केन्द्रीय कार्यशाला की परियोजना “कृषि यंत्र एवं मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र” के लिए टेस्टिंग वैन को खरीदने बाबत।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि केन्द्रीय कार्यशाला की परियोजना “कृषि यंत्र एवं मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र” के लिए टेस्टिंग वैन परियोजना में उपलब्ध बजट से खरीदने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।</p>
<p>स्वाकेराकृवि/बोम-92/ 2015-2/1268</p>	<p>नव नियुक्त सहायक आचार्यों को 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् पीएच०डी० करने तथा अध्ययन अवकाश देने के लिए आज्ञा देने बाबत।</p> <p>विश्वविद्यालय में नियुक्त सहायक आचार्यों को 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् पीएच०डी० करने तथा उच्च अध्ययन हेतु अध्ययन अवकाश के प्रकरण में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। यह पारित (Resolved) किया गया कि पीएच०डी० तथा उच्च अध्ययन अवकाश के स्वीकृति की अनुशंसा हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा एक समिति का गठन किया जावे, जो कि विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक आचार्यों को वरियतानुसार एवं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अनुसंधान, प्रसार एवं शिक्षा का कार्य प्रभावित न हो को ध्यान में रखते हुए समिति की अनुशंसा आगामी प्रबन्ध मण्डल में विचारार्थ प्रस्तुत की जावे।</p>
<p>स्वाकेराकृवि/बोम-92/ 2015-2/1269</p>	<p>स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों का स्नातक स्तर पर कृषि एवं गृह विज्ञान संकाय में 5 प्रतिशत कोटा यथावत रखने बाबत।</p> <p>स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों का स्नातक स्तर पर कृषि एवं गृह विज्ञान संकाय में 5 प्रतिशत कोटा यथावत रखे जाने हेतु विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। यह पारित (Resolved) किया गया कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कारण प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस पर असहमति प्रदान की गई साथ ही निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में विस्तृत</p>

	<p>रिपोर्ट तैयार कर महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके बच्चों को स्नातक स्तर पर कृषि एवं गृह विज्ञान संकायों में 5 प्रतिशत विशेष प्रवेश कोटा हेतु निवेदन किया जावे।</p>
<p>स्वाकेराकृवि/बोम-92/ 2015-2/1270</p>	<p>राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प० 1(3) शिक्षा-4/2010 दिनांक 26.05.2014 से कम मानदेय राशि पर विशेषज्ञों की सेवाए लेने बाबत्।</p> <p>राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प० 1(3) शिक्षा-4/2010 दिनांक 26.05.2014 से कम मानदेय राशि पर विशेषज्ञों की सेवाए लेने के प्रकरण में विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर में विषय विशेषज्ञों की कमी को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुमति प्रदान की जाती है साथ ही इस बाबत् शपथ पत्र विधि शाखा से अनुमोदित शपथ पत्र भरवाकर सेवाए ली जावे एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावे जिससे भविष्य में संबंधित द्वारा किसी भी प्रकार के नियमितकरण के वादकरण से बचा जा सके।</p>
<p>स्वाकेराकृवि/बोम-92/ 2015-2/1271</p>	<p>स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के ब्रांड नाम "थार सीड्स" के संबंध में।</p> <p>स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के ब्रांड नाम "थार सीड्स" के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा यह पारित (Resolved) किया गया कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा उत्पन्न किए जा रहे बीजों का नाम हिन्दी एवं अंग्रेजी में "बीकाणा बीज" रखा जावे एवं ट्रेडमार्क का पंजियन करवाकर बेचा जावे।</p>
<p>स्वाकेराकृवि/बोम-92/ 2015-2/1272</p>	<p>विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12, 2012-13 & 2013-14 का अनुमोदन करने बाबत्।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12, 2012-13 & 2013-14 का अनुमोदन करने की पुष्टि की जाती है।</p>
<p>स्वाकेराकृवि/बोम-92/ 2015-2/1273</p>	<p>वित्त समिति की बैठक दिनांक 08.09.2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत्।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 08.09.2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती है।</p>
<p>स्वाकेराकृवि/बोम-92/ 2015-2/1274</p>	<p>विश्वविद्यालय का आय व्यय अनुमान वर्ष 2015-16 व संशोधन अनुमान वर्ष 2014-15 एवम् बैलेंस सीट वर्ष 2013-14 की पुष्टि करने बाबत्।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा पेंशनर्स को पेंशन देने हेतु राज्य सरकार से प्राप्त ऋण के रूप में फण्ड व विश्वविद्यालय वित्तीय घाटा का अंकन विश्वविद्यालय के आय व्यय अनुमान वर्ष 2015-16 में किए जाने के साथ व संशोधन अनुमान वर्ष 2014-15 एवम् बैलेंस सीट वर्ष 2013-14 की पुष्टि की जाती है।</p> <p>डॉ० सी०बी० गेना द्वारा अवगत कराया गया कि बीकानेर में स्थापित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की भाँति इस विश्वविद्यालय में भी एक कुलपति विशेष फण्ड की स्थापना की जावे, जिसमें हर वर्ष कम से कम ₹5 लाख की राशि का प्रावधान हो तथा उक्त राशि किन्हीं विशेष कार्यों में खर्च की जावे।</p>

अन्य प्रकरण माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से विचार किया जायेगा ।

माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से निम्न प्रकरण प्रबन्ध मण्डल में विचारार्थ रखे गये एवं निम्नानुसार निर्णय पारित किए गये ।

1 मई-जून 2013 में सह आचार्य से आचार्य पदों पर हुई पदोन्नति (यू०जी०सी० केरियर एडवांसमेंट योजना 2010 के अन्तर्गत) की प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को दिये गये निर्देशों के अनुसार स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में पदोन्नति से वंचित प्राध्यापकों के अभ्यावेदन अनुसार सी०ए०एस० में पदोन्नति का लाभ देने बाबत विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात् निम्न समिति का गठन किया गया :-

1. डॉ० लोकेश कुमार शेखावत, अध्यक्ष
पूर्व कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं
महामहिम कुलाधिपति द्वारा मनोनीत प्रबन्ध मण्डल सदस्य
2. डॉ० सी०बी० गेना,
पूर्व कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर सदस्य
एवं राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत प्रबन्ध मण्डल सदस्य
3. श्री अरविन्द सिंह शेखावत,
वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि सदस्य
विश्वविद्यालय, बीकानेर
4. डॉ० आई०जे० गुलाटी, सदस्य
अधिष्ठाता एवं कुलसचिव सचिव
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

उक्त समिति की बैठक दिनांक 01.10.2015 को प्रातः 11.00 बजे सभागार कुलपति सचिवालय में आयोजित किए जाने तथा कुलसचिव कार्यालय द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में पूर्ण दस्तावेज मय शेष रहें सह-आचार्यों के व्यक्तिगत पत्रावलियों सहित समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया ।

2 वित्त नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पर विश्वविद्यालय में दिनांक 01.01.2004 व उनके पश्चात् नियुक्त नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले कार्मिकों की मेडिकलेम पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार के राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर से निर्धारित दरों के अनुसार करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

3 निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण डॉ० के०डी० खिड़िया, आचार्य (शस्य विज्ञान) एवं प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, पोकरण एवं जैसलमेर के कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर में कार्यरत रहने के समय विश्वविद्यालय परिसर में आवंटित आवास को स्थानान्तरण पश्चात् पारिवारिक परिस्थिति के कारण खाली नहीं करने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पेनल एवं स्टेण्डर्ड दर को विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस विशेष प्रकरण में ही साधारण दर में परिवर्तित कर आवास किराया वसूल करने का निर्णय लिया गया ।

	<p>4 कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत प्रबन्ध मण्डल, विद्या परिषद्, चयन समिति, वित्त समिति की बैठकों में भाग लेने वाले महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति, राज्य सरकार, विधानसभा अध्यक्ष एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मनोनीत माननीय सदस्यों को वर्तमान में देय मानदेय ₹1000/- को बढ़ाकर ₹2000/- करने की स्वीकृति प्रदान की गई । इसके साथ ही निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय के विशेष अनुरोध पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली अनुसंधान एवं विस्तार सलाहकार समिति की बैठकों में भाग लेने वाले बाह्य सदस्य (External Member) को वर्तमान में देय मानदेय ₹500/- से बढ़ाकर ₹1000/- करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

(डॉ० इन्द्रजीत गुलाटी)

कुलसचिव

व

सदस्य सचिव प्रबन्ध मण्डल

(डॉ० बी०आर० छीपा)

कुलपति

एवं

अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल